संख्या-138/2016/1587/नौ-5-16-286बजट/2013

प्रेषक,

**रंग बहादुर सिंह,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**प्रबन्ध निदेशक,**
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2016

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में नाले के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् आजमगढ़ के पत्र संख्या-321/नि., दिनांक 07.01.2016 तथा शासनादेश संख्या-322/2015/1535/नौ-5-2015-286बजट/2013, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकसी योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में सिविल लाइन्स में अलका होटल के पीछे विनोद की पुलिया से होकर छोटू मिस्त्री के घर की पुलिया तक नाला निर्माण के कार्य हेतु** रू0 57.11 लाख पर निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से द्वितीय किश्त के रूप में **₹ 31.36 लाख (₹ इक्त्तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| क्र0 | कार्य का नाम | शासनादेश संख्या-322/2015/1535/नौ-5-2015-286बजट/ 2013, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि | अवशेष धनराशि | द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में सिविल लाइन्स में अलका होटल के पीछे विनोद की पुलिया से होकर छोटू मिस्त्री के घर की पुलिया तक नाला निर्माण के कार्य | 57.11 | 25.75 | 31.36 | 31.36 |

**(₹ इकत्तीस लाख छत्तीस हजार मात्र)**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

6) शासनादेश संख्या-322/2015/1535/नौ-5-2015-286बजट/2013, दिनांक 06.10.2015 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( रंग बहादुर सिंह )
उप सचिव।

**संख्या-138/2016/1587(1)/नौ-5-16-286बजट/2013, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( रंग बहादुर सिंह )
उप सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2016-2017**

**आवंटन दिनांक-13/05/2016**

**प्रेषण संख्या:-** 138

**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-138-2016-1587-9-5-16-286B-2013

**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

**लेखाशीर्षक:-** 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 3136000<br>85836000 | 3136000<br>85836000 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 3136000<br>85836000 | 3136000<br>85836000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया इकत्तीस लाख छत्तीस हजार

**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ करोड़ अट्ठावन लाख छत्तीस हजार

(उमा शंकर सिंह)
**विशेष कार्याधिकारी**